

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2015—आश्विन 6, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्र. एफ-बी-4-13-2015-2-पांच-(19).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. बी-4-29-2014-2-पांच (01), दिनांक 2 जनवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में अनुक्रमांक 8 के सामने, कॉलम (3) में क्रमांक 19 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

“20. ग्राम बिन्जाना, वार्ड क्रमांक 11, नगर निगम क्षेत्र, तहसील देवास, जिला देवास स्थित भूमि के दो सर्वे क्रमांक-सर्वे क्रमांक 252/2 के 20.364 हेक्टेयर क्षेत्र तथा सर्वे क्रमांक 217 के 0.384 हेक्टेयर क्षेत्र, कुल 20.748 हेक्टेयर (51.2 एकड़) क्षेत्र की भूमि पर मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये मेसर्स रूचि एक्रोनी प्रा. लि. द्वारा मेसर्स अवंती मेगा फूड पार्क प्रा. लि. के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले हस्तांतरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट उक्त रकम की प्रतिपूर्ति किए जाने की शर्त के अधधीन रहते हुए होगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्र. एफ-बी-4-13-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-13-2015-2-पांच-(19), दिनांक 28 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 28th September 2015

No. F-B-4-13-2015-2-V-(19).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F. B-4-29-2014-2-V(01), dated 2<sup>nd</sup> January, 2015, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, against serial number 8, in column (3), after number 19, the following number and entries relating thereto shall be added, namely :—

“ 20. On instrument of conveyance of 20.748 hectare (51.2 acres) of land of two survey numbers i.e. area 20.364 hectare of survey numbers 252/2, and area 0.384 hectare of survey number 217 of village Binjana, ward number 11, Nagar Nigam area in Tehsil Dewas of District Dewas, executed by M/s Ruchi Acrony Private limited in favour of M/s Avanti Mega Food Park Privated Limited to establish Mega Food Park, the Chargeable stamp duty shall be exempted subject to condition of reimbursement of the said amount.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.